

पत्र संख्या—वनभूमि—08 / 2017— 1896 वर्ष 0 प०

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक— 05/5/2017

विषय:— J.U.S.N.L. द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमंडल अंतर्गत गोविन्दपुर से दुमका तक 220 K.V. D/C Transmission Line निर्माण हेतु कुल—16.2635 हेठो वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक—296 दिनांक—20.04.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में निम्नांकित त्रुटियाँ परिलक्षित होती हैं :—

- (1) प्रस्ताव के साथ संलग्न पार्ट—I एवं II भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में नहीं है।
- (2) देवघर वन प्रमंडल में प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन से संबंधी Land Schedule में अधिसूचित वनभूमि शून्य तथा जंगल-झाड़ भूमि को 5.5529 हेठो दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव के पार्ट-II में अधिसूचित वनभूमि का रकबा 2.0850 हेठो तथा जंगल-झाड़ भूमि का रकबा 3.4679 हेठो उल्लिखित है। तदनुरूप देवघर वन प्रमंडल संबंधी Land Schedule में सुधार आवश्यक होगा।
- (3) उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा जामताड़ा जिला में प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के अंतर्गत निर्गत प्रमाण—पत्र भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित Form-II में है, जबकि इसे Form-I में निर्गत किया जाना अपेक्षित है।
- (4) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में त्रुटियों का निराकरण कर निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख/मंतव्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय:—

- (क) विहित प्रपत्र में पार्ट—I एवं पार्ट-II की हस्ताक्षरित प्रति।
- (ख) देवघर वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि का यथा संशोधित Land Schedule।
- (ग) जामताड़ा वन प्रमंडल से संबंधित वनभूमि के संबंध में भारत सकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (Form-I) में FRA संबंधित प्रमाण पत्र।
- (घ) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य।

विश्वासभाजन

15/5/17

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—वनभूमि—08 / 2017— 1896

राँची, दिनांक— 05/5/2017

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सहायक महाप्रबंधक, पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 360/A, ममता भवन, अशोक नगर, रोड नं०-4B, राँची-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/17

सरकार के उप सचिव